सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 103/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

शंकर पुत्र मुकना जाति मीणा निवासी आमली मजरा गणेशपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
————प्रार्थी

♠बनाम♠

1. रामलाल पुत्र हजारी
2. माधू पुत्र हजारी
3. रामकिशन पुत्र हजारी
4. बबलू पुत्र रामलाल

समस्त जाति मीणा निवासीगण तितरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.5.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम तितरिया के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 109 में खसरा नम्बर 985, 1089 ,1091 किता 3 कुल रकबा 0.43 है. भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात को जबरन कब्जा करने फसल काश्त नहीं करने देने की ऐलानिया धमकीया देते है तथा प्रार्थी की आराजीयात को जबरन हडपने पर आमादा है तथा आये दिन प्रार्थी से लडाई झगडा करता है प्रार्थी को बेदखल कर आराजीयात को हडपने की नियत से प्रार्थी को हेरान परेशान कर रहे है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के मूल वाद को निस्तारण तक अप्रार्थीगण एवं उनके उत्तराधिकारी,ऐजेन्ट,हाली,सीरी नोकर आदि को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थी की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ,दखलदांजी या अतिक्रमण नही करें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई जहां प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए।

उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन लडाई झगडे करना , उपयोग, उपभोग ,में बाधा उत्पन्न न करने हेतु जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगणो को पाबन्द कराना चाहा है।

अतः प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात वाके ग्राम तितरिया के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 109 में खसरा नम्बर 985, 1089 ,1091 किता 3 कुल रकबा 0.43 है. का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी इत्यादी न करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी